

COURSE NAME - B.Ed. 1st YEAR

SESSION - 2021-2023

SUBJECT - भारतीय शिक्षा का इतिहास

TOPIC NAME - भारतीय शिक्षा आयोग 1882 (एक्टर कमीशन)

DATE - 12/01/2022

भारतीय शिक्षा आयोग 1882
(एक्टर कमीशन)

PAGE NO.

DATE:

आयोग की नियुक्ति के कारण ⇒

1. 1854 के ब्रुड के आजापत्र में भारत में शिक्षा का प्रसार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी पर सुनिश्चित किया था। और निरपेक्ष शिक्षान्त की आलोचना की थी। परन्तु सरकार इस संसुति को न मानते हुए अधिक धन माध्यमिक विद्यालय कॉलेजों और वि. वि. की स्थापना में ही व्यय करती रही इससे प्राथमिक शिक्षा का विकास नहीं हो सका था।
2. देशी विद्यालयों की अपेक्षा के कारण जनता में असन्तोष व्याप्त था।
3. सहायता अनुदान प्रणाली का सही से उपयोग न होना।
4. सरकार की अपेक्षापूर्ण नीति के कारण ईसाई मिशनरियों में भी सरकार के प्रति असन्तोष बढ़ रहा था।

उद्देश्य

1. शिक्षा जीवन के व्यवहारिक पक्ष से जुड़ी हुई है।
2. जन शिक्षा प्रसार

आयोग की नियुक्ति -

8 फरवरी 1882 ई० को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की इस आयोग के अध्यक्ष सर विलियम विल्सन

हफ्तर आ बनाये गये। इसलिए इसे हफ्तर आयोग कहा जाता है। इस आयोग के सचिव बी. एल. राइस थे। इसमें 20 सदस्य थे जिसमें 7 भारतीय सदस्य थे।

1) कैती तैलक (2) गुलाम (3) अमृत साही
 4) भूदेव मुखर्जी (5) डा. मिलन (6) क्रिश्चियन मिशनरी (7) नदास भी शामिल था।
 8) मदन महामुद (9) आनन्द मोहन वसु (10) पी. रंगानंद

आयोग का प्रतिवेदन

आयोग ने समस्त भारत देश का अभ्रमण करके 7 सप्ताह कलकत्ता और 7 महीने में भारत के विभिन्न प्रान्तों में लोगों से मिलकर तथ्य एवं सूचनाएँ संकलित की जिनमें प्रान्तीय सरकारों के प्रतिवेदन भी थे। अपने सुझावों एवं संस्तुतियों का 600 पृष्ठों का प्रतिवेदन तैयार करके मार्च 1882 ई० को सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया।

आयोग का कार्यक्षेत्र

1. 1854 की नीति का किस सीमा तक पालन हुआ।
2. भारत के प्राइमरी शिक्षा की क्या स्थिति है।
3. मिशनरी शिक्षा की क्या स्तर है इसमें सुधार की क्या आवश्यकता है।

4 सरकारी विद्यालय और व्यापकगत प्रयास की शिक्षा में क्या भूमिका है हम किस सीमा तक उसकी सहायता लेंगे इसमें कितनी सुधार की आवश्यकता है।

प्राथमिक शिक्षा

नीति —

- 1 प्राथमिक शिक्षा जन साधारण की शिक्षा के रूप में मानी जाए
- 2 पिछड़े जिले में उदार सहायता अनुदान देकर प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए।

भाषा — देशी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए।

प्रशासन —

- 1 भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास और प्रशासन के लिए आयोग ने ब्रिटेन की काउन्टी काउन्सिल (County Council) शिक्षा केन्द्र को आदर्श मानकर प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व काउन्टी काउन्सिल को सौंप दिया गया था। इसी आधार पर भारत में भी आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषदों तथा नगर क्षेत्रों में नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए सुझाव दिया प्राथमिक शिक्षा का समस्त उत्तरदायित्व इन्हीं स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव दिया।

2. जिन जिला परिषदों और नगरपालिकाओं की स्थापना हो वे स्कूल जिले मान लिए जाएं इन स्कूल जिलों में स्कूल परिषदों की स्थापना की जानी चाहिए। इनही स्कूल परिषदों के उत्तरदायित्व में उनके अधीन क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों का प्रचार एवं प्रसार होना चाहिए।
3. प्रत्येक प्रान्त में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
4. स्कूलों के लिए नए भवन बनवाए जाए।
5. प्राथमिक शिक्षा को आर्थिक सहायता दी जाए।

विद्यालय प्रशासन

आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों के अंतर्गत पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकें परीक्षा शिक्षा का माध्यम और कार्य दिवसों आदि के विषय में निम्नलिखित संस्तुतियां प्रस्तुत की थीं -

- (1) पाठ्यक्रम प्राप्त अपनी आवश्यकता के अनुसार तय करेगा।
- (2) व्यावहारिक अंकगणित की भारतीय विधियाँ और बही रवात जैसे व्यावहारिक विषय प्रारम्भ होने चाहिए।
- (3) विज्ञान गणित प्राकृतिक विज्ञान पाठ्यक्रम में होने चाहिए।

4. कताई जुनाई एवं धारेल संबंधी कार्य में शिक्षा का माध्यम लोकल भाषा होगी।
5. परीक्षा विद्यालय निरीक्षकों द्वारा ही ली जानी चाहिए।

शिक्षक प्रशिक्षण

1. नार्मल स्कूलों की स्थापना चाहिए। राजकीय हो या सहायता प्राप्त।
2. एक प्रान्त में एक ही नार्मल स्कूल होने चाहिए।
3. इनमें मनोवैज्ञानिक स्तर पर पाठ्यक्रम विकसित करना प्रैक्टिकल पर आधारित शिक्षा देना न कि थ्यरी बेस पर।
4. प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में एक ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट होनी चाहिए।

वित्त

1. प्राथमिक शिक्षा को लोक शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था का वह भाग घोषित कर देना चाहिए जो शिक्षा के लिए पृथक रखे गए स्थानीय कोष पर प्रायः एकमात्र अधिकार और प्रान्तीय आय पर वृद्ध अधिकार रखती है।

1. प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष कोष तैयार होना चाहिए।

2. नगरपालिका शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के कौष का हिसाब ग्रामीण क्षेत्रों के कौष के हिसाब से अलग रखा जाए जिससे गाँवों में व्यय किया जाने वाला धन नगरपालिका क्षेत्रों में व्यय होने से रोका जा सके

माध्यमिक शिक्षा secondary education

नीति — सरकार का कर्तव्य प्रत्येक जिले में केवल एक हाईस्कूल को स्थापना करना है। उसके पश्चात् माध्यमिक शिक्षा का प्रसार व्यापक प्रयासों पर होना चाहिए।

माध्यम — अंग्रेजी

पाठ्यक्रम — पाठ्यक्रम

अ कैर्स
साहित्यिक
जो विविध में प्रवेश
लाना चाहते हैं।

ब कैर्स
व्यावहारिक
व्यावसायिक

शिक्षा के अन्य पक्ष

1. शिक्षक प्रशिक्षण

1. स्नातकों की प्रशिक्षण अवधि उनसे निम्न योग्यता के दानाध्यापकों की अपेक्षा कम होनी चाहिए।

धार्मिक शिक्षा

- (1) राजकीय विद्यालय में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा न दी जाए।
- 2 और सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है।

मुस्लिम शिक्षा

1. मुस्लिम शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन देने का भार स्थानीय संस्थाओं एवं प्रान्तों पर होना चाहिए।
2. मुस्लिम प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाया जाना चाहिए।
3. छात्रवृत्तियाँ अधिक दी जाएं आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
4. मुसलमान निरीक्षक को नियुक्ति की जाए प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण के लिए।

स्त्री शिक्षा

1. बालिका विद्यालयों को अधिक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।
2. बालिकाओं का पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक बालकों से भिन्न हो।
3. निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था

4. बालिकाओं को छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था
छात्रावास की व्यवस्था।

गुण —

1. आयोग ने शिक्षा की स्पष्ट नीति की घोषणा की।
2. जनसाधारण की शिक्षा को शिक्षा का प्रमुख अंग स्वीकार करके प्रसार एवं सुधार के लिए सरकार को सुझाव दिया जिससे जनसाधारण की शिक्षा का विकास हुआ।
3. नार्मल स्कूलों की स्थापना
4. मुसलमानों के शिक्षा के लिए व्यापक सुझाव
5. स्त्री शिक्षा को निःशुल्क बनाने का प्रयास

दोष — Demerits

1. आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का पारिवर्तन स्थानीय निकायों पर सौंप कर प्रांतीय सरकारों को अपने कर्तव्यों से विमुख कर दिया।
2. माध्यमिक शिक्षा व्यापक प्रयासों पर ध्यान दिया।

3.

आयोग ने राजकीय विद्यालयों में
व्यक्तिगत नीति अपनाकर व्यक्तिगत
शिक्षा देने को रोक देने से देश
की आर्थिकता को आबात
लगा ।